न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः-18 / 2017रा0वाद

अनवान

1-श्री हेमेन्द्र सिंह गोदपुत्र श्री शिवसिंह चुण्डावत जाति दरोगा निवासी बेमाली तहसील करेडा

----वादीगण।

बनाम

1-श्री राजेन्द्र सिंह पिता मदनसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा

2-श्री शम्भू सिंह पिता मदनसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा

3-श्री नरेन्द्र सिंह पिता मदनसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा

4-श्री कानसिंह पिता मदनसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा

5-श्रीमती उमादेवी पत्नी मदनसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा

6-श्री गुलाबसिंह पिता मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेडा

7-श्री गणपतसिंह पिता मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेडा

8-श्री ईश्वरसिंह पिता मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेडा

9-श्रीमती झम्मुकँवर पत्नी मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा

10-तारा कँवर पुत्री मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेडा

11-मंजु पुत्री मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा

12-कान्ता पुत्री मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा

13-श्री रामसिंह पिता घीसुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेडा

14-श्री धर्मचन्द पिता स्व0 मगनीराम जाति महाजन निवासी बेमाली तहसील करेड़ा

15-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा।

--प्रतिवादीगण।

उपस्थित :-

1-श्री कमलेश मेहता — अधिवक्ता वादी

2-पेरोकार सरकार — अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

खंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

निर्णय — दिनांक 23.05.2018

1. मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा एक वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 705 की आराजी नंबर 3310 रकबा 2 बिस्वा किस्म गे.मु.चाह स्थित है जो कि ग्राम बेमाली की जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में जो कि स्व. मदन सिंह , प्रतिवादी संख्या 06 गुलाबसिंह, प्रतिवादी संख्या 07 गणपतसिंह, प्रतिवादी संख्या 08 ईश्वरसिंह पिता मांगुसिंह एवं मु0 झम्मु बेवा मांगुसिंह प्रतिवादी संख्या 09 एवं रामसिंह पिता घीसासिंह प्रतिवादी संख्या 13, स्व. सायरी पत्नी शिवसिंह एवं मगनीराम पिता हजारीमल प्रतिवादी संख्या 14 के नाम दर्ज है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 14 मगनीराम पिता हजारीमल का आधा हिस्सा तथा बकाया आधे हिस्से में स्व. मदनसिंह के वारिसान

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05, गुलाबसिंह , गणपतसिंह, ईश्वरसिंह एवं मु0 झम्मु, रामसिंह एवं स्व0 सायरी देवी पत्नी शिवसिंह के वारिसों का शामिलात में आधा हिस्सा है।

2. यह है कि इसी प्रकार ग्राम बेमाली पटवार हलका बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 706 नये व पुराना 698 में दर्ज आराजी नं. 3006 रकबा 2.05 बीघा, 3013 रकबा 1.03, 3308 रकबा 2.11, 3309 रकबा 1.10, 3311 रकबा 0.12, 3312 रकबा 2.03 व 3838/3007 रकबा 0.04 कुल किता 07 रकबा 10.08 बीघा भूमि में स्व0 मदनसिंह के वारिस एवं गुलाबसिंह , गणपतसिंह, ईश्वरसिंह पिता मांगुसिंह एवं झम्मु बेवा मांगुसिंह एवं स्व0 सायरी पत्नी शिवसिंह, रामसिंह पिता घीसा दरोगा खातेदार काश्तकार है।

3. यह कि उक्त दोनों खाता संख्याओं में मदनसिंह का स्वर्गवास हो जाने के कारण एवं श्रीमती सायरी का भी स्वर्गवास हो जाने के कारण अभी तक राजस्व रेकार्ड में उनके वारिसों का नाम दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए मदनसिंह के वारिसों को इस वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 0144 लगायत 05 है। उसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 13 के मूल पुरूष घीसुसिंह की पुत्री चाँदीकँवर अपने पिता घीसुसिंह जी के पूर्व में ही फौत हो जाने के कारण उसके वारिसों को प्रकरण में वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया। घीसूसिंह के पुत्र मांगुसिंह के वारिस उनकी पत्नी झमुकँवर , पुत्र गुलाबसिंह, गणपतसिंह, ईश्वरसिह, व उनकी पुत्रियाँ तारा कँवर, कान्ता कँवर व मंजु कँवर को भी उक्त वादपत्र में पक्षकार कायम किया गया है।

4. यह है कि शिवसिंह पिता घीसूसिंह एवं उनकी पत्नी सायरी पत्नी शिवसिंह के द्वारा आज से करीब 8 वर्ष पूर्व मेवाड की दरोगा जाति में प्रचलित सामाजिक रिवाजानुसार वादी को शिवसिंह पिता घीसूसिंह एवं उनकी पत्नी सायरी पत्नी शिवसिंह ने गोद लिया तथा वादी के प्राकृतिक पिता रामसिंह एवं प्राकृतिक माता श्रीमती मोहनी बाई ने शिवसिंह व उनकी पत्नी सायरी का अपना पुत्र जो कि वादपत्र में वादी है को गोद दिया। वादी के प्राकृतिक माता–पिता एवं गोद माता एवं गोद पिता ने सामाजिक कार्यक्रम कर गोद लेने व देने की रस्म को पुरा किया जिस वक्त मदनसिंह जी एवं सभी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 उपस्थित थे। इस प्रकार वादी आज से आठ वर्ष पूव से ही श्री शिवसिंह पुत्र श्री घीसुसिंह एवं सायरी पत्नी शिवसिंह का गोदपुत्र कहलाने लगा । वादी के राशनकार्ड, आधार कार्ड में भी पिता के स्थान पर शिवसिंह का नाम दर्ज है तथा श्री शिवसिंह जी की मृत्यु उपरान्त जाति रस्म रिवाज अनुसार ही वादी को पुत्र के रूप में पगडी बाँधी गई ।

5. यह है कि वादी श्रीमती सायरी देवी पत्नी शिवसिंह का गोद पुत्र होने से वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात 3310 में 1/6 हिस्सा एवं वादपत्र की कलम संख्या 03 में का 1/3 हिस्सा जो सायरी देवी के नाम है का वादी कानूनी वारिस है।

6. यह है कि वादी सायरी देवी का गोद पुत्र होने के कारण वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजी संख्या 3310 रकबा 0.02 बीघा के 1/6 हिस्से तथा कलम संख्या 3 में वर्णित आराजियात में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

7. यह है कि सभी प्रतिवादीगण वादी को स्व0 शिवसिंह पिता घीसूसिंह एवं सायरी पत्नी शिवसिंह का गोद पुत्र मानते है। इस हेतु उन्होनें अपनी सहमति जवाब दावे में दे रखी है। परन्तु राजस्व कर्मचारी के द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही गोदपुत्र का नामान्तकरण खोले जाने की कार्यवाही करने से ही वादपत्र पेश करने की नौबत आयी है।

8. यह है कि वादग्रस्त आराजियात में सायरदेवी के हिस्से पर वादी का कब्जा होकर उपयोग उपभोग किया जा रहा है।

मैनें पत्रावली एवं प्रस्तुत रेकार्ड तथा जवाब प्रतिवादी का अवलोकन किया। वादी का वाद स्वीकार योग्य है। अतएव

...ड अधिकारी पदेन
...यक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

आदेश

वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने से आदेश दिया जाता है कि ग्राम बेमाली पटवार हलका बेमाली भू0अ0नि0 बेमाली तहसील करेड़ा की खाता संख्या 705 में वर्णित आराजी संख्या 3310 रकबा 0.02 बीघा के 1/6 हिस्सा जो कि सायरी पत्नी शिवसिंह के नाम दर्ज है के स्थान पर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा खाता संख्या 706 में दर्ज आराजी संख्या 3006 रकबा 2.05 बीघा, 3013 रकबा 1.03 बीघा , 3308 रकबा 2.11 बीघा , 3309 रकबा 1.10 बीघा , 3311 रकबा 0.12 बीघा , 3312 रकबा 2.03 , 3838/3007 रकबा 0.04 कुल किता 7 रकबा 10.08 बीघा का 1/3 हिस्सा जो कि सायरी पत्नी शिवसिंह के नाम दर्ज है के स्थान पर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व रेकार्ड में सायरी पत्नी शिवसिंह के स्थान पर वादी हेमेन्द्र सिंह गौद पुत्र शिवसिंह चुण्डावत जाति दरोगा का नाम दर्ज की कार्यवाही करें। तदनुसार डिकी जारी हो। फरीकेन अपना-अपना खर्चा वहन करेगें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प बेमाली में सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान

1–श्री हेमेन्द्र सिंह गोदपुत्र श्री शिवसिंह चुण्डावत जाति दरोगा निवासी बेमाली तहसील करेड़ा

---वादीगण।

बनाम

1–श्री राजेन्द्र सिंह पिता मदनसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
2–श्री शम्भू सिंह पिता मदनसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
3–श्री नरेन्द्र सिंह पिता मदनसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
4–श्री कानसिंह पिता मदनसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
5–श्रीमती उमादेवी पत्नी मदनसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
6–श्री गुलाबसिंह पिता मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
7–श्री गणपतसिंह पिता मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
8–श्री ईश्वरसिंह पिता मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
9–श्रीमती झम्मुकँवर पत्नी मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
10–तारा कँवर पुत्री मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
11–मंजु पुत्री मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
12–कान्ता पुत्री मांगुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
13–श्री रामसिंह पिता घीसुसिंह निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
14–श्री धर्मचन्द पिता स्व0 मगनीराम जाति महाजन निवासी बेमाली तहसील करेड़ा
15–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

--प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, मुकदमा नं. 18/2017 निर्णय दिनांक 23.05.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री कमलेश मेहता मिनजानिब मुददई व पेरोकार सरकार मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार कर ग्राम बेमाली पटवार हलका बेमाली भू0अ0नि0 बेमाली तहसील करेड़ा की खाता संख्या 705 में वर्णित आराजी संख्या 3310 रकबा 0.02 बीघा के 1/6 हिस्सा जो कि सायरी पत्नी शिवसिंह के नाम दर्ज है के स्थान पर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा खाता संख्या 706 में दर्ज आराजी संख्या 3006 रकबा 2.05 बीघा, 3013 रकबा 1.03 बीघा , 3308 रकबा 2.11 बीघा , 3309 रकबा 1.10 बीघा , 3311 रकबा 0.12 बीघा , 3312 रकबा 2.03 , 3838/3007 रकबा 0.04 कुल किता 7 रकबा 10.08 बीघा का 1/3 हिस्सा जो कि सायरी पत्नी शिवसिंह के नाम दर्ज है के स्थान पर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व रेकार्ड में सायरी पत्नी शिवसिंह के स्थान पर वादी हेमेन्द्र सिंह गौद पुत्र शिवसिंह चुण्डावत जाति दरोगा का नाम दर्ज की कार्यवाही करने बाबत डिकी प्रदान की जाती है। फरिकेन खर्चा अपना–अपना वहन करें।

आज तारीख 23.05.2018 को डिकी मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner